



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जून, 2026 ई0 (आषाढ़ 06, 1948 शक सम्वत्) [संख्या-26

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	385—390	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	157—160	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	297—304	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून

विज्ञप्ति

21 अप्रैल, 2026 ई0

पत्रांक—3533/तीन—137/च0सं0/2025—26—उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग—3, देहरादून के शासनादेश संख्या—135/XVIII(3)/2026—03 (07)/2016, दिनांक 06 अप्रैल, 2026 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम—1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या—5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा—52 की उपधारा—(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार, के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :-

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1.	नगला सलारू	रुड़की	मंगलौर	हरिद्वार
2.	इमलीखेड़ा धर्मपुर	रुड़की	रुड़की	हरिद्वार

रंजना राजगुरु,
संचालक, चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग—9

अधिसूचना

ई0प0सं0—91414

15 मई, 2026 ई0

संख्या: 396294/2026/XXVII(9)/02/अधि0प्रा0/2024/टी0सी0—राज्यपाल “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थात् :-

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

नियम 4.1 का संशोधन।

- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम—4.1 के खण्ड iv के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

iv. सुसंगत वर्ग (Category) में विभिन्न मौद्रिक सीमाओं के संविदा आदेशों को क्रियान्वित करने की क्षमता के आधार पर फर्मों का निम्नलिखित श्रेणियों में सूचीकरण किया जाए—

श्रेणी	निविदा की सीमा
श्रेणी-ए	कोई सीमा नहीं
श्रेणी-बी	5 करोड़ रुपए तक
श्रेणी-सी	3 करोड़ रुपए तक
श्रेणी-डी	1 करोड़ रुपए तक
श्रेणी-ई	50 लाख रुपए तक

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

iv. सुसंगत वर्ग (Category) में विभिन्न मौद्रिक सीमाओं के संविदा आदेशों को क्रियान्वित करने की क्षमता के आधार पर फर्मों का निम्नलिखित श्रेणियों में सूचीकरण किया जाए—

श्रेणी	निविदा की सीमा
श्रेणी-ए	कोई सीमा नहीं
श्रेणी-बी	5 करोड़ रुपए तक
श्रेणी-सी	3 करोड़ रुपए तक
श्रेणी-डी	1.50 करोड़ रुपए तक
श्रेणी-ई	50 लाख रुपए तक

संविदाकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया एवं अन्य युक्तियुक्त नियम, इस नियमावली के नियम-3.1 के अनुरूप होंगे, यदि वह इस अध्याय में उल्लिखित किसी भी बात से असंगत नहीं है।

संविदाकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया एवं अन्य युक्तियुक्त नियम, इस नियमावली के नियम-3.1 के अनुरूप होंगे, यदि वह इस अध्याय में उल्लिखित किसी भी बात से असंगत नहीं है।

आज्ञा से,

डॉ० वी० षण्मुगम,
सचिव।

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून

विज्ञप्ति

05 जून, 2026 ई०

पत्रांक-4273/तीन-153/च०सं०/2026-27-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश संख्या-250/XVIII(3)/2026-03 (07)/2016, दिनांक 26 मई, 2026 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-52 की उपधारा-(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार, के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त की जाती हैं :-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1.	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद	भगवानपुर	भगवानपुर	हरिद्वार
2.	चुडियाला मोहनपुर	भगवानपुर	भगवानपुर	हरिद्वार

विज्ञप्ति

15 जून, 2026 ई०

पत्रांक-4391/तीन-120/चक०सं०/2026-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शा० सं०-251/XVIII(3)/2026-03 (10)/2016, दिनांक 27 मई, 2026 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-6 की उपधारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-83/31-A-813-1954-Rev(A) दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून जनपद उधमसिंहनगर, तहसील, बाजपुर के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-10867/जी-151/71, दिनांक 08 अक्टूबर, 1992 में आंशिक संशोधन करते हुये तहसील बाजपुर के निम्नलिखित ग्रामों को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये ग्राम की विज्ञप्ति को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है:-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1.	ताली	बाजपुर	बाजपुर	ऊधमसिंहनगर
2.	भजुआ नगला	बाजपुर	बाजपुर	ऊधमसिंहनगर
3.	नूरपुर	बाजपुर	बाजपुर	ऊधमसिंहनगर
4.	मडैयारत्ना	बाजपुर	बाजपुर	ऊधमसिंहनगर

रंजना राजगुरु,
आयुक्त एवं सचिव/
संचालक, चकबन्दी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृत शिक्षा अनुभागकार्यालय आदेश

31 अक्टूबर, 2025 ई०

संख्या-341518/XLII-1/06(06)2018/E-16940-लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2025 को चयन समिति की बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में श्री दिनेश कुमार, उप कुलसचिव वेतनमान 56100-177500, (ग्रेड वेतन 5400) लेवल-10 को कुल सचिव पद वेतनमान रु० 67700-208700, (ग्रेड वेतन 6600) लेवल-11 के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री दिनेश कुमार को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,
कवीन्द्र सिंह,
अपर सचिव।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

(पदोन्नति)

05 मई, 2026 ई0

संख्या-392714/ई-82276/XIII-1/2026-01(9)2016-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'क' सेवा नियमावली, 1991 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में विहित व्यवस्थाओं के आलोक में विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियमित चयनोपरान्त उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड विभाग के अन्तर्गत उप निदेशक/मुख्य उद्यान अधिकारी, श्रेणी-1 के पद पर कार्यरत डॉ0 नरेन्द्र कुमार की पदोन्नति संयुक्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड वेतनमान रू0 15600-39100, वेतन लेवल-12 के पद पर मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या:-93/एस0बी0/2026 डॉ0 नरेन्द्र कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले आदेश के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान करते हुये दो वर्ष की विहित परीक्षा अवधि में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारी के तैनाती आदेश उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में विहित व्यवस्थानुसार पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3. डॉ0 नरेन्द्र कुमार पदोन्नत पद संयुक्त निदेशक, उद्यान पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण करते हुए, अपनी योगदान आख्या निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव।

वित्त अनुभाग-9

पदोन्नति/तैनाती

11 जून, 2026 ई0

संख्या-404018/2026/XXVII(9)/स्टाम्प-54/2008/ई0प0-24554-तात्कालिक प्रभाव से स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, वेतनमान रू 67,700-2,08,700 वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (पूर्व वेतनमान रू 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू 6600) के रिक्त एक पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री रामदत्त मिश्र, उप निबन्धक श्रेणी-1 को सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के पद पर पदोन्नत करते हुये सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उधमसिंहनगर के रिक्त पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- उक्त पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से श्री रामदत्त मिश्र 02 वर्ष की विहित परीक्षा पर रहेंगे।

3- श्री रामदत्त मिश्र को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान आख्या प्रस्तुत करते हुये शासन को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

गंगा प्रसाद,
अपर सचिव।

वन अनुभाग-1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

11 जून, 2026 ई0

संख्या-1100/X-1-2026-14(03)/2022-E-14586-श्री सर्वेश कुमार दुबे, भा0व0से0, प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर, जिनकी जन्मतिथि 02.07.1966 (दो जुलाई सन् उन्नीस सौ छियासठ) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-07-2026 के अपरान्ह को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

मुकेश कुमार राय,
संयुक्त सचिव।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

08 जून, 2026 ई0

संख्या-403140/ई-103540/XIII-1/2026-03(06)2026-कृषि विभाग समूह-‘क’ सेवा नियमावली, 1992 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) तथा उत्तराखण्ड कृषि समूह-‘क’ (संशोधन) सेवा नियमावली, 2021 में विहित व्यवस्थाओं के आलोक में विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियमित चयनोपरान्त कृषि विभाग के अन्तर्गत सहायक निदेशक, कृषि विभाग, श्रेणी-2 के पद पर कार्यरत श्रीमती प्रियंका सिंह की पदोन्नति उप निदेशक, कृषि/मुख्य कृषि अधिकारी, श्रेणी-1 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6600, अर्थात् वेतन लेवल-11 (रु0 66700-रु0 208700) के पद पर मा0 लोक सेवा न्यायाधिकरण में योजित क्लेम पिटीशन संख्या:-147/(डीबी)/2023, विनोद कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2026 और मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या:-60 (एस/बी)/2021, प्रियंका सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट एवं अन्य (जिसे मा0 न्यायाधिकरण में निर्देश याचिका संख्या:-67/NB/DB/2022, के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया) तथा रिट पिटीशन संख्या-93 (एस/बी)/2021, दीपक पुरोहित बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य (जिसे मा0 न्यायाधिकरण में निर्देश याचिका संख्या:-91/DB/2022, के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया) तथा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या:-236/एसबी/2024, विनोद कुमार शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य से सम्बन्धित प्रकरणों में न्यायिक सोपानों/प्रक्रमों के अन्तर्गत होने वाले अन्तिम निस्तारण के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारी के तैनाती आदेश उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में विहित व्यवस्थानुसार पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3. श्रीमती प्रियंका सिंह पदोन्नत पद उप निदेशक, कृषि में कार्यभार ग्रहण करते हुए, अपनी योगदान आख्या निदेशक, कृषि विभाग के माध्यम से तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
देवेन्द्र सिंह चौहान,
उप सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 हिन्दी गजट/187-भाग 1-2026 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जून, 2026 ई0 (आषाढ़ 06, 1948 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 14, 2026

No. 181/XIV-70/Admin.A/2003--Shri Manish Mishra, Principal Judge, Family Court, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 25 days w.e.f. 17.02.2026 to 13.03.2026 with permission to suffix 14.03.2026 & 15.03.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

May 14, 2026

No. 182/XIV/55/Admin.A/2003--Shri Nitin Sharma, District & Sessions Judge, Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 18.04.2026 to 27.04.2026.

NOTIFICATION

May 14, 2026

No. 183/XIV/a-45/Admin.A/2017--Shri Anil Kumar Kori, Civil Judge, (Jr. Div), Joshimath, District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 19.02.2026 to 28.02.2026 with permission to suffix 01.03.2026 as Sunday, 02.03.2026 as local holiday and 03.03.2026 to 04.03.2026 as Holi holidays respectively.

NOTIFICATION

May 14, 2026

No. 184/XIV/12/Admin.A/2008--Shri Ashutosh Kumar Mishra, the then 1st Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar, presently posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 13 days w.e.f. 24.01.2026 to 05.02.2026.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 14, 2026

No. 185/XIV-a/34/Admin.A/2015--Ms. Afiya Mateen, the then Additional Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal, presently posted as Civil Judge (Sr. Div.), Almora, is hereby sanctioned:

1.	Child care leave	For 23 days w.e.f. 03.02.2025 to 25.02.2025 with permission to prefix 02.02.2025 as Sunday and 26.02.2025 as Maha Shivratri holidays.
2.	Child care leave	For 17 days w.e.f. 09.02.2026 to 25.02.2026 with permission to prefix 08.02.2026 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 14, 2026

No. 186/XIV-a-50/Admin.A/2015--Ms. Shama Parveen, the then 4th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar, presently posted as 5th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned:

1.	Miscarriage leave	For 42 days w.e.f. 31.12.2025 to 10.02.2026.
2.	Medical leave	For 39 days w.e.f. 12.03.2026 to 19.04.2026.

NOTIFICATION

May 18, 2026

No. 187/XIV/a-8 Admin.A2/2024--Ms. Asmita Chauhan, the then Civil Judge (Jr. Div.), Pratap Nagar District Tehri Garhwal, now relieved for Delhi Judicial Service is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 20.11.2025 to 29.11.2025 with permission to suffix 30.11.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 18, 2026

No. 188/XIV/a-19/Admin.A/2009--Ms. Jyoti Bala, Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 26 days w.e.f. 10.11.2025 to 05.12.2025 with permission to prefix 08.11.2025 & 09.11.2025 as second Saturday and Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 18, 2026

No. 189/XIV/82/Admin.A/2003--Ms. Pritu Sharma, Additional District Judge, Commercial Court Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 13.01.2026 to 24.01.2026 with permission to suffix 25.01.2026 as Sunday holiday and 26.01.2026 as Republic day holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 18, 2026

No. 190/XIV/82/Admin.A/2003--Ms. Pritu Sharma, Additional District Judge, Commercial Court Dehradun is hereby sanctioned:

1.	Child care leave	<u>For 15 days w.e.f. 25.11.2025 to 09.12.2025</u>
2.	Child care leave	<u>For 16 days w.e.f. 18.02.2026 to 05.03.2026.</u>

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 18, 2026

No. 191/XIV/a-32/Admin.A/2021--Ms. Sneha Narang, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned medical leave for 59 days w.e.f. 21.11.2025 to 18.01.2026.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 18, 2026

No. 192/XIV/a-32/Admin.A/2021--Ms. Sneha Narang, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 10.11.2025 to 18.11.2025 with permission to prefix 08.11.2025 & 09.11.2025 as second Saturday and Sunday holidays.

NOTIFICATION

May 18, 2026

No. 193/XIV-a-43/Admin.A/2008--Shri Harish Kumar Goel, Principal Judge, Family Court, Pauri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 20.04.2026 to 26.04.2026.

NOTIFICATION

May 18, 2026

No. 194/XIV-a-43/Admin.A/2008--Shri Harish Kumar Goel, Principal Judge, Family Court, Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 03 days w.e.f. 23.03.2026 to 25.03.2026 with permission to prefix 21.03.2026 & 22.03.2026 as Id-ul-fitr and Sunday holidays' and suffix 26.03.2026 as Sunday holiday for the purpose of Home LTC.

NOTIFICATION

May 18, 2026

No. 195/XIV-a/23/Admin.A/2014--Shri Dayaram, the then Chief Judicial Magistrate, Almora, presently posted as Secretary, DLSA, Tehri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 21 days w.e.f. 02.02.2026 to 22.02.2026.

NOTIFICATION

May 19, 2026

No. 196/XIV-a-34/Admin.A-2/2023--Ms. Nancy Chhabra, the then 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi is hereby sanctioned child care leave for 16 days w.e.f. 02.01.2026 to 17.01.2026 with permission to suffix 18.01.2026 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जून, 2026 ई० (आषाढ़ 06, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 6938 1181 1987 व पेन कार्ड नं० CPIPR1232J में त्रुटिवश मेरा नाम RAVINADRA SINGH RAWAT गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम RAVINDRA SINGH RAWAT है। जो मेरे विभागीय NPSCARD NO. 110115131766 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे RAVINDRA SINGH RAWAT S/o LATE DEVENDRA SINGH RAWAT नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

RAVINDRA SINGH RAWAT

S/o LATE DEVENDRA SINGH RAWAT

निवासी—एच नं० 7/1 राजकीय लिथो प्रेस कॉलोनी
रामनगर रुड़की जिला—हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 204314749858 में त्रुटिवश उसका नाम VASNVI गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम वैष्णवी चौहान (VAISHNAVI CHAUHAN) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 6791 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को वैष्णवी चौहान (VAISHNAVI CHAUHAN) पुत्री श्री विकास कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विकास कुमार

निवासी— हाउस नं0 103, हरी आश्रय कालोनी,
बवालीकलंजरी, हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम उमा सोनी से बदलकर उमा योगिनी कर लिया है। जो मेरे आधार कार्ड नं. 580079611422 व पेन कार्ड नं. BEYPY2359M में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे उमा योगिनी पत्नी स्व0 धीर दास के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

उमा योगिनी पत्नी स्व0 धीर दास
निवासी— पंजाब सिंध क्षेत्र ऋषिकेश
देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं. 5379 8427 4949 में त्रुटिवश उसका नाम काफिया (KAFIYA) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम काव्या (KAVYA) हैं। जो पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं0 598 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को काव्या (KAVYA) पुत्री श्री गौरव कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गौरव कुमार

निवासी शक्ति विहार कॉलोनी पाड़ली गुर्जर
रूडकी जिला—हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं. 7183 8513 6919 में त्रुटिवश उसका नाम नाबिया (NABIYA) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम नवया (NAVYA) है। जो पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं0 816 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को नवया (NAVYA) पुत्री श्री गौरव कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गौरव कुमार
निवासी शक्ति विहार कॉलोनी पाड़ली गुर्जर
रुडकी जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 695712065940 में त्रुटिवश मेरा नाम गेणा देवी (Genna Devi) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम गैणी देवी (Gaini Devi) है जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं. UK25ES0100560960 व जन्म प्रमाण पंजी. सं. पत्र B202505031800000035 में भी दर्ज है भविष्य मुझे गैणी देवी (Gaini Devi) पत्नी स्व. मंगल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गैणी देवी (Gaini Devi) पत्नी स्व. मंगल सिंह
निवासी 41 कफल्ड पौड़ी गढ़वाल थलीसैण उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं0 9150 4782 7290 में उसका नाम साईम अहमद (SAAIM AHMAD) दर्ज है। लेकिन मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम साईम अहमद (SAAIM AHMAD) से बदलकर अली अहमद (ALI AHMAD) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं0 B202605900680000268 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को अली अहमद (ALI AHMAD S/O TASLEEM AHMAD) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

TASLEEM AHMAD
निवासी- किला मंगलौर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे, आधारकार्ड नं0. 3375 3074 6363 में त्रुटिवश मेरा नाम—कुष्क ठाकुर (KUSHK THAKUR) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम—कुश ठाकुर (KUSH THAKUR) है, जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक—25103768 एवं स्थाई निवास प्रमाण—पत्र सं0. UK 10DOM0300/200097 817 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे कुश ठाकुर (KUSH THAKUR) S/O RAVI SHANKAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कुश ठाकुर (KUSH THAKUR)

S/O RAVI SHANKAR

निवासी—ओगल भट्टा, क्लेमेन्टाउन देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं0 200356203923 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम गोलो (GOLO) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम मनु शर्मा (MANU SHARMA) है। जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 B-2025:09-90347-002954 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को मनु शर्मा (MANU SHARMA) पुत्री श्री मनोज कुमार शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मनोज कुमार शर्मा

निवासी खसरा नं0 512, जाखन, शिवम विहार,

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 7573 0971 0340 में त्रुटिवश मेरा नाम यशवी शर्मा गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम यशवी शर्मा (YASHVEE SHARMA) है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 25124528 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे यशवी शर्मा (YASHVEE SHARMA) पुत्री श्री राजेश शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

यशवी शर्मा (YASHVEE SHARMA)

पुत्री श्री राजेश शर्मा

निवासी—डी 167, भागीरथी विहार राधास्वामी

सत्संग भवन नूरपुर पंजनहेडी हरिद्वार

उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 363936299793 में त्रुटिवश मेरा नाम हेमा देवी (HEMA DEVI) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम हिमा देवी (HIMA DEVI) है। जोकि मेरे जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण संख्या B202605008430000001 एवं ई-मतदाता पहचान पत्र संख्या WP01070499 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे हिमा देवी (HIMA DEVI) पत्नी श्री कुन्दन सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

हिमा देवी (HIMA DEVI) पत्नी श्री कुन्दन सिंह
निवासी-टैटुडा, नारायण बगड, चमोली, नारैन्बगर
उत्तराखण्ड-246455

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम सुनील सिंह से बदलकर सुनील सिंह चौहान (Sunil Singh Chauhan) कर लिया है। जो मेरे उत्तरजीवी प्रमाण-पत्र सं0 UK25ES0700026532 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे सुनील सिंह चौहान (Sunil Singh Chauhan) S/o Chandra Singh के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुनील सिंह (मौजूदा पुराना नाम)
S/o Chandra Singh
निवासी-नकरौंदा देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं0 5367 8592 7082 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम सौतम (SAUTAM) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अनुभव (ANUBHAV) है। जो पुत्र के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25015718 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को अनुभव (ANUBHAV) पुत्र श्री राजू सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राजू सिंह
निवासी-रांघडवाडला सोहलपुर सिकरोडा हरिद्वार
उत्तराखण्ड।

सूचना

Before marriage, my name was Aanchal Thakur, D/o Sh. B.S. Thakur (Bhupendra Singh Thakur,) which is also recorded in my High School Certificate (Roll No. 5117749). After marriage, I changed my name from Aanchal Thakur to Aanchal Rana, which is also recorded in my Aadhaar Card No. 5358 2240 7240. However, my marriage with my husband Shri Munish Rana has been legally dissolved through the Family Court under Case No. CNR NO: HRYN01-000488-2025 dated 24-02-2025. Therefore, I now wish to change my name back from Aanchal Rana to Aanchal Thakur. In future, I should be known, identified, and addressed as Aanchal Thakur D/o Shri BS Thakur. Address: Thakur Gali No. 6, near ICICI Bank, Majra, Dehradun, Uttarakhand

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Aanchal Thakur D/o Shri BS Thakur.
Address: Thakur Gali No. 6, near ICICI Bank, Majra,
Dehradun, Uttarakhand

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नंबर 715425396929 में उसका नाम चार्विक तोमर (Charvik Tomar) दर्ज है, लेकिन मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम चार्विक तोमर (Charvik Tomar) से बदलकर युवांग तोमर (Yuvank Tomar) कर लिया है। जो मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीयन संख्या B202405901640001357 में दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को युवांग तोमर (Yuvank Tomar) पुत्र श्री सुमित तोमर के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुमित तोमर
निवासी ग्राम व पोस्ट लोहारी तहसील कालसी
जिला देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 918681122832 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम वंश चौधरी (VANSI CHAUDHARY) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम मोनित सिंह (MONIT SINGH) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० B-2024:5-07764-000009 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को मोनित सिंह (MONIT SINGH) पुत्र अमित कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अमित कुमार
निवासी— गांव नगला चीना, पोस्ट—गुरुकुल नारसन,
नगला चीना, तहसील—रुड़की, जिला—हरिद्वार,
राज्य—उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं REKHA RAJPUT W/O ARVIND KUMAR मेरे P.P.O UAN. 100320498187 में त्रुटिवश मेरे पति का घरेलू नाम SUDHEER गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पति का वास्तविक नाम ARVIND KUMAR है। जो मेरे विवाह प्रमाण-पत्र नं० MR-UKUCC2550000008635 DATE 04.05.2025 व पति के आधार कार्ड नं. 2732 0990 0781 में भी दर्ज हैं। भविष्य में मुझे REKHA RAJPUT W/O ARVIND KUMAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

REKHA RAJPUT W/O ARVIND KUMAR
निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी समेलपुर महदूद
हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 2874 3468 4416 में त्रुटिवश मेरा नाम आकृति रावत (Akrati Rawat) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम आकृति (Akariti) है, जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं. UK26ES0100063271 व पहचान पत्र नं. XGM1191337 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे आकृति (Akariti) D/o Khushal Singh के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

आकृति (Akariti) D/o Khushal Singh
निवासी 19, शिवराजपुर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 5650 1094 9979 में त्रुटिवश उसका नाम Irish Astwal गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम क्रिश अष्टवाल (Krish Astwal) है। जो पुत्र के स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं० UK25ES0100598571 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को क्रिश अष्टवाल (Krish Astwal) पुत्र श्री महीपाल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

महीपाल सिंह
निवासी— फकरहेडी भलस्वगाज जिला—हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 265980065603 में त्रुटिवश मेरा नाम Anshik गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम Anshika Kumari है। जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष 2024 अनुक्रमांक 25110563 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे Anshika Kumari D/o Ranjeeta Devi के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Anshika Kumari D/o Ranjeeta Devi
निवासी-110 विजय कॉलोनी पो0 हाथीबरकला,
जिला-देहरादून राज्य उत्तराखण्ड-248001

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नंबर 850050146231 में उसका नाम विहान कुमार (Vihan Kumar) दर्ज है। लेकिन मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम विहान कुमार (Vihan Kumar) से बदलकर विराज विश्वकर्मा (Viraaj Vishwakarma) कर लिया है जो पुत्र के हाई स्कूल की अंकतालिका अनुक्रमांक नं. 25123874 में भी दर्ज है भविष्य में मेरे पुत्र को विराज विश्वकर्मा (Viraaj Vishwakarma) पुत्र श्री निरवेश कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

निरवेश कुमार
निवासी-सी 32, एकता विहार भेल मार्ग, जमालपुर
खुर्द आर. के. पूरम के सामने सुल्तानपुर मजरी
हरिद्वार उत्तराखंड 249402

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 3163 4241 4954 में त्रुटिवश मेरा नाम साईना परवीन (SAINA PARVEEN) व मेरे पति GULSHER AHMED के नाम के स्थान पर मेरे पिता MEHMOOD HASAN का नाम गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम शाहीना परवीन (SHAHINA PARVEEN) है। जो मेरे पहचान पत्र नं0 IBG1987312 व पूर्व पासपोर्ट नं0 M3663077 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे शाहीना परवीन (SHAHINA PARVEEN) W/O GULSHER AHMED के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शाहीना परवीन (SHAHINA PARVEEN)
W/O GULSHER AHMED
निवासी वार्ड नं0 11 पी0ओ0 मेंहूवाला माफी देहरादून
उत्तराखण्ड